

कार्यालय वन मंडल अधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव

दूरभाष : 07744-225059 (का), 226389 (नि.), ई-मेल dfo_rajnandgaon@yahoo.com

ज्ञापन क्र./मा.चि./5-4/ 1079
प्रति,

राजनांदगांव, दिनांक 29.07.16

मुख्य वन संरक्षक
दुर्ग वृत्त दुर्ग

विषय :-

DIVERSION OF FOREST LAND FOR NON FOREST PURPOSE UNDER FOREST CONSERVATION ACT, 1980 FOR THE PURPOSE OF UNDER GOROU WATER SUPPLY SCHEME AMBAGARH CHOWKI (GROUP SCHEME OF ARSENIC AFFECTED VILLAGE AND VILLAGE ON THE WAY TOTAL 18 VILLAGE) CALCULATION HAS BEEN DONE ON THE BASIS OF RL OF SELECTED PLACES IN DESIGN OF INTAKE WELL WTP AND MBR FOR THIS 18 VILLAGE UNDER THIS SCHEME DESIGN HAS BEEN MADE TO COMPART MENT NO. P-715 FILL AREA - 1.672 HA. - REGARDING.

पंजीयन क्रमांक FP/CG/WATER/17247/2015

संदर्भ :-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.स.अ.) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/एल. एम.-115-601/788 दिनांक 29.03.2016

- ***** -

विषयांकित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट के अनुसार तैयार कर नोडल अधिकारी F.C. Act. कार्यालय के परीक्षण उपरांत आपके समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्ताव के अंतर्गत निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की जा रही है :-

01. आवेदनकर्ता कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड आर.के. नगर जिला राजनांदगांव वनमण्डल में संरक्षित वन के कक्ष क्रमांक P-715 की कुल 1.672 हे. की मांग हेतु की गई है।
02. आवेदन कर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क हेतु रुपये 29000/- जमा कराये गये है।
03. व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व 0.2 से 03 तक है एवं इससे मिश्रित प्रजाति के वृक्ष खड़े है।
04. व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वनमण्डलाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार :-
 - (iii) प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य समूह नल जल प्रदाय योजना हेतु मांग की जा रही है, वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भी गैर वन भूमि विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं है।
 - (IV) वर्तमान व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।
05. प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वन हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
06. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास प्राचीन दंतेश्वरी मंदिर है। वन मण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
07. प्रस्तावित गैर वानिकी परियोजना में आवेदनकर्ता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 नियम 03 B का उल्लंघन किया/नहीं किया है।
08. आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (Biosphere Reserve, प्राकृति, झील/वाटर बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट, धार्मिक स्थल) सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत नहीं है। वन मण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

09. आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय उद्यान एवं किसी वन्य प्राणी अभ्यारण का भाग नहीं है एवं आवेदित वन भूमि की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में संरक्षित वन क्षेत्र है। वन मण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
10. आवेदक द्वारा शासन निर्देशानुसार 1.672 हे. वन भूमि की साईट क्वालिटी विरल वन एवं घनत्व 0.2 से 0.3 तक होने के कारण 6.26 लाख प्रति हे. की दर से प्रत्याशा मूल्य (NPV) जमा करने हेतु वचन पत्र दिया गया है।
11. Land Reclamation/Catchment area Treatment/fire protection/Safety Zone/Resettlement plan अन्य मिश्रित रोपण योजना के क्रियान्वयन हेतु आवेदन कर्ता का वचन पत्र संलग्न है।
12. आवेदित गैर वानिकी परियोजना पर पर्यावरण स्वीकृति लागू नहीं होती है।

अनुशंसित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्ग दर्शिका सिद्धांतों के औपचारिकतायें पूर्ण कर प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- प्रस्ताव 65 प्रतियों में।

पृ.क्र./मा.चि./5-4/ 1080
प्रतिलिपि :-

आवेदन कर्ता कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड आर.के. नगर जिला राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव
राजनांदगांव, दिनांक 29-07-16

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव